तारीख हुक्म	हुक्म या कायवाहा मय इनाशयल्स जज स्टेट जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ बनाम सुरजाराम वाद अन्तर्गत धारा 177 आरटीए प्रकरण संख्या 13/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
11.7.2022	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वादी द्वारा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2077–2078 बाबत किसी प्रकार की आपति जाहिर नहीं की गई है और ना ही कोई साक्ष्य पेश किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता साक्ष्य पेश नही करना चाहतें है। हमने उभय पक्ष की बहस का मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। खसरा गिरदावरी सम्वत 2077–2078 में खेत खसरा नंबर 1388/1251 तादादी 3.3941 हैक्टेयर किस्म बारानी भूमि पर बाजरा सम्मिलित मोठ का अंकन है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत वाद में खातेदार की खातेदारी भूमि पर बिना किसी स्वीकृति आदि के कृषि करनें के बजाय अवैध रूप से आवासी मकान, सडक निर्माण हेतु क्रेसर से कंक्रीट बनाने का कार्य किया जाने बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है परन्तु वादी द्वारा अपने दावें के समर्थन में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि खातेदार द्वारा अपनी कृषि भूमि का उपयोग अकृषि कार्य हेतु किया जा रहा है। अतः साक्ष्य के अभाव में वादी वाद खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 11.7.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। **निर्णय सुनाया गया।** (दिव्या) उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 18:01:50 IST
Reason: SelfAttested